03.06.25 पत्रावली पेश। वकीलान उपस्थित। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जाखल के खेत खसरा संख्या 1260, 1264/1765, 1942/1257, 1943/1259 कुल रकबा 4.62 हेक्टर भूमि प्रार्थिया तथा अप्रार्थीगण का संयुक्त खातेदारी की स्थित है। जिसमें प्रार्थिया अपने हिस्से 65/462 पर मौके पर भौतिक बंटवारा अनुसार काबिज है। प्रार्थिया ने अप्रार्थीगण को विधिवत बंटवारे हेतु कहा तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया तथा प्रार्थिया को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने तथा किसी अजनबी व्यक्ति को बेचान करने की सम्भावना है, अगर अप्रार्थीगण ऐसा करने में सफल हो गए तो प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होगी। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमावे।

प्रत्युत्तर में अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि स्व० सुजाराम ने वादग्रस्त आराजी को बेचान दिनांक 29.06.2016 को अपने हिस्से से अधिक प्रार्थिया सरस्वती व गैर कानूनी रूप से को करा दिया। जिसे ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। प्रार्थिया मौके पर अपने हिस्से से अधिक भूमि को घेरकर जबरन ~~कब्जा कर~~ कब्जा कर अपने हिस्से से अधिक भूमि हड़प करना चाहती है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी [illegible] खातेदार काबिज काश्त [illegible] का अब्बा तहरीर [illegible] नहीं होता है। मौके पर प्रार्थिया का कब्जा नहीं है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	जिससे प्रथम दृष्टया मामला तथा सुविधा का संतुलन प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होकर हम अप्रार्थीगण के पक्ष में है। चाहे रेकॉर्ड खातेदार को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को तरह-तरह की कठिनाईयों में उलझना पड़ेगा। जिससे हम अप्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु प्रार्थिया के विरुद्ध तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। मैंने उभयपक्ष द्वारा अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2074-77 ग्राम गेना का गोलिया, पटवार और खाता के अनुसार वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थिया 65/462 हिस्से की रेकॉर्ड खातेदार है तथा सहखातेदार होने के कारण संयुक्त भूमि का बंटवारा करवाने की प्रथम दृष्टया अधिकारी है चाहे बिना भू-विभाजन के वादग्रस्त आराजी को बेचान तथा खुर्दबुर्द किया जाता है तो प्रार्थिया को [illegible] प्रबल सम्भावना है अतः [illegible] दृष्टया, सुविधा का [illegible] प्रार्थिया के [illegible] प्रार्थना पर प्रार्थिया का स्वीकार योग्य है।	

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

मुकदमा नम्बर ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर ... अहकाम ... हुक्म ... में आ...
	अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RT Act बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी मौजा [illegible] गौना का गोलिया पटवार सैंड पाबिल के खसरा नम्बर 1260, 1264/1765, 1942/1257, 1943/1259 कुल रकबा 4.62 हैक्टर आराजी पर मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षगण को मौके तथा राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाता है। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम की जावे [illegible] उपस्थित हो।	
	(हस्ताक्षर)	
	सहायक कलेक्टर [illegible] (उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2025.06.26 15:27:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner